# न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 190/2015–16 अन्तर्गत धारा–331 जं0वि0अधि0

1– चन्द्र मोहन, पुत्र मुकुन्दराम, 2. केशव, 3. माधव, 4. रमाकान्त, 5. उमाकान्त , 6. श्रीमती भुवनेश्वरी सभी निवासीगण–ग्राम क्यार्दा पट्टी नगुण, जिला टिहरी गढ़वाल।

बनाम

1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री बालकराम मृतक, 2. श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री बालकराम पत्नी श्री सुन्दरलाल, निवासी– मं0नं0 107, फेज–2 बसन्त विहार, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री एस0के0 सुन्दरियाल (अनुपस्थित)।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री एस0आर0 नौटियाल।

## निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, टिहरी गढ़वाल द्वारा वाद संख्या–66/2009 श्रीमती गीता देवी बनाम चन्द्रमोहन आदि अन्तर्गत धारा–176 जं0वि0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 07–06–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी का संक्षिप्त विवरण यह है कि:–

उत्तरदाता संख्या–1/वादिनी श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री बालक राम निवासी–ग्राम क्यार्दा पट्टी नगुण जिला टिहरी गढ़वाल ने ग्राम क्यार्दा की भूमि खतौनी खाता संख्या–10 फसली वर्ष 1413 से 1418 में दर्ज खसरा नम्बरान जिनका कुल क्षेत्रफल 4.2390 है0 के बंटवारा हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा–176 जमींदारी विनाश अधिनियम का सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, टिहरी के समक्ष प्रस्तुत किया। वाद की कार्यवाही गतिमान रहते हुए दिनांक 07–06–2016 को निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस हेतु अन्य तिथि दिये जाने का प्रार्थना पत्र दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर ने आदेश दिनांक 07–06–2016 से रू0 2000/– हर्जाने पर तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। इसी आदेश दिनांक 07–06–2016 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानी सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने की तिथि दिनांक 24–06–2016 से इस निगरानी में सुनवाई हेतु 05 तिथियां नियत की गई लेकिन किसी भी तिथि पर न तो निगरानीकर्तागण उपस्थित है और न ही उनके

विद्वान अधिवक्ता। अतः निगरानी निगरानीकर्तागण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से निस्तारित की जा रही है।

उत्तरदाता संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की मुख्य तर्क था कि निगरानी अर्न्तवर्ती आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं वाद को अनावश्यक लम्बित रखने के उद्देश्य से वादकालीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नही है।

मूल वाद की कार्यवाही अभी विचारण न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अभी कोई अन्तिम आदेश पारित नही हुआ है। निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र को विद्वान सहायक कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल द्वारा आदेश दिनांक 07–06–2016 से 2000/– हर्जाने पर स्वीकार किया गया है ज़ो वादकालीन/अन्तर्वर्ती आदेश है। इस आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागण को हर्जाना माफ करने अथवा उसे कम करने हेतु विचारण न्यायालय में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जो उनके द्वारा नही किया गया है। अर्न्तवर्ती आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नही है एवं अस्वीकृत होने योग्य है।

## आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है तथापि यदि निगरानीकर्तागण अवर न्यायालय में आदेश दिनांक 07–06–2016 को वापस लेने अथवा आरोपित हर्जाने को माफ करने या उसे कम करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो विद्वान सहायक कलेक्टर उसपर विधिसम्मत निर्णय लेंगे। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस व इस न्यायालय पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंग़पांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **12–09–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।